173

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5
संख्या–27 (A) /xxiv–5 /2013
देहरादून दिनांक 13 मई, 2013

अधिसूचना संख्या–27/XXIV–5/2013 दिनांक 13 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2013"** की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख्य सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड माजरा देहरादून।
7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
11. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
12. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर देहरादून।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
15. अपर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को आसाधारण गजट विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियॉ माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
16. गार्ड फाईल।

सलग्न–यथोक्त।

आज्ञा से
(आर0के0तोमर)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
विद्यालयी शिक्षा विभाग
संख्याः-27 /XXIV–5/2012
देहरादूनः दिनांक 13 मई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, राज्य में जन सहयोग के माध्यम से शिक्षा के समग्र विकास हेतु विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण तथा गरीब एवं मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2013 स्थापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2013

अध्याय–एक

प्रारम्भिकी

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष योजना, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

उद्देश्य

2. इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे; अर्थात् :–

(क) जन सहयोग से उत्तराखण्ड राज्य में विद्यालयी शिक्षा के विकास;

(ख) विद्यालय भवनों का निर्माण, विस्तारीकरण कराना तथा विद्यालयों में शैक्षिक एवं काष्ठोपकरणों हेतु सहायता देना;

(ग) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उपकरण उपलब्ध कराना;

(घ) छात्रवृत्ति का संचालन करना; और

(ङ) विशेष विद्यालयों यथा–आवासीय विद्यालय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के विद्यालय अथवा हॉस्टल सुविधायुक्त विद्यालय का सुदृढ़ीकरण है।

परिभाषाएँ

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस योजना में–

(क) **"विद्यालयी शिक्षा"** से राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की शिक्षा व्यवस्था अभिप्रेत है;

(ख) **'कोष'** से प्रस्तर–4 के अधीन गठित "उत्तराखण्ड जन सहयोग शिक्षा कोष" अभिप्रेत है;

(8) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन शिक्षाविद् सदस्य;

बैठक

6. (1) शासी निकाय की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी, किन्तु आवश्यकता होने पर बैठक कभी भी बुलायी जा सकेगी।

(2) बैठक की सूचना लिखित रूप से बैठक से न्यूनतम 15 दिन पूर्व दी जायेगी।

कार्यवाही

7. शासी निकाय की बैठक की कार्यवाही के अभिलेख सदस्य–सचिव द्वारा अनुरक्षित होंगे और प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करायी जायेगी।

गणपूर्ति

8. (1) शासी निकाय की बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष के अतिरिक्त कम से कम आधे सदस्यों से होगी।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

अध्याय–3

कार्यालय, कोष, कोष का संचालन, कोष का प्रयोग, अंकेक्षण, बजट और आर्थिक सहायता, अनुदान की स्वीकृति

कार्यालय

9. (1) शासी निकाय का कार्यालय शिक्षा महानिदेशालय में होगा।

(2) योजना के लेखे के समुचित अनुरक्षण और वार्षिक लेखे के परीक्षण के लिए सदस्य–सचिव उत्तरदायी होगा।

कोष

10. योजना के अन्तर्गत प्राप्त आय को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा। यदि **कारपस फण्ड के रूप में** राज्य सरकार अथवा अन्य श्रोतों से धन प्राप्त होता है तो उस पर अर्जित व्याज को ही कोष के उद्देश्यों की पूर्ति में व्यय किया जायेगा, परन्तु कारपस फण्ड से इतर किसी भी स्तर से प्राप्त अनुदान/सहायता जिस प्रयोजनार्थ दी गयी हो उसी के अनुसार व्यय/उपयोग की जा सकेगी।

कोष का संचालन

11. (1) कोष का संचालन प्रचलित वित्तीय नियमों के अधीन तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

9.	बहुउद्देशीय हॉल	–	–	25,00,000=00	25,00,000=00
10.	अन्य (जैसे मध्याह्न भोजन एवं उसमें गुण/ मूल्यवर्धन हेतु बर्तन, गैस की व्यवस्था आदि)	50,000=00	50,000=00	1,00,000=00	1,00,000=00

टिप्पणी– उक्त दरें तत्समय प्रचलित मानक लागत के आधार पर परिवर्तनशील होगी। सदस्य–सचिव द्वारा शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त दरों का वार्षिक प्रकाशन किया जायेगा।

(8) विशेष परिस्थितियों में दानदाताओं से शासी निकाय द्वारा प्रकाशित दरों से भिन्न अर्थात् अधिक एवं कम दर से धनराशि दानस्वरूप स्वीकार की जा सकेगी ।

(9) दानदाताओं द्वारा विद्यालयों अथवा किसी विद्यालय विशेष के लिए कोई सामग्री, जो शिक्षा के प्रयोजन विद्यालय में प्रयोग में लायी जाती हो, भी उपलब्ध करायी जा सकती है। सामग्री का मूल्य 1.00 लाख अथवा उससे अधिक होने की दशा में सामग्री के समपर्ण/दान का उल्लेख शासी निकाय की पूर्वानुमति से विद्यालय भवन में शिलापट्ट लगाकर किया जा सकेगा। दानदाताओं/सहयोगकर्ताओं द्वारा किसी विद्यालय विशेष को दी गयी धनराशि का विवरण उस विद्यालय के सूचना पट पर अंकित किया जा सकेगा।

दानदाताओं का नाम मुद्रित/ अंकित किया जाना

13. (1) दानदाताओं को आयकर में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

(2) दानदाताओं के नाम को उनकी इच्छानुसार मुद्रित/अंकित किया जायेगा।

अंकेक्षण

14. कोष के आय–व्यय का खाता अनुरक्षित किया जायेगा, जिसके अंकेक्षण आख्या शासी निकाय के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी।

बजट और आर्थिक सहायता

15. (1) कोष का वार्षिक बजट शासी निकाय के सदस्य–सचिव द्वारा प्रचलित वित्तीय नियम के अधीन निर्धारित कार्यों के लिए पृथक–पृथक तैयार किया जायेगा और शासी निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) कोष की मूलराशि का किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं किया जायेगा।